09/11/2022 पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील मय वादीनी स्वयं उप०। प्रतिवादी सं. 2 के वकील उप०। वादीनी वकील ने प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा वाद विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि वादीनी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 माला जो वादीनी के पिता है जिनके विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में वादीनी ने अपने पिता प्रतिवादी सं. 01 माला के हिस्से में से 1/2 हिस्से की घोषणा हेतु चाहा गया था। लेकिन गांव के मौजिज लोगों व परिवार के सदस्यों ने लोक अदालत की भावना से हम दोनों पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा करवा दिया है तथा वादग्रस्त भूमि मौजा गुले की बेरी के खेत खसरा सं. 144 रकबा 100.06 बीघा, खसरा सं. 24(1660/24) रकबा 22.17 खसरा सं. 18 रकबा 8.10 बीघा, खसरा सं. 26 रकबा 5.14 बीघा में वादीनी के पिता प्रतिवादी सं. 1 माला से मुझ वादीनी को मुकैनी भूमि में हिस्से के बदले प्रतिफल दे दिया गया है अब वादीनी का वादग्रस्त भूमि बाबत वादीनी एवं उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा शेष नहीं होने से [illegible] नहीं करेगी तथा ना ही वादग्रस्त भूमि में हक [illegible] करेगी लिहाजा वादीनी का वाद जरिये राजीनामा विड्रो फरमाया जावें।

वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या में कम हो।

विपक्ष
पक्षकार
(वकील वादीनी)
फोटोप्रति
के प्रति 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.14 10:00:02 IST
Reason: SelfAttested